तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
20-3-15	पत्रावली पेश हुई / ~~[illegible]~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/ का स्थानान्तरण हो गया है~~। अत: पत्रावली दि० 20-3-15 को पेश हो। [signature] रीडर	
20-3-15	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। बहस सुनी गई। दोनों पक्षों को मौका व रेकार्ड की स्थिति मूल वाद के निर्णय तक यथावत बनाए रखने हेतु T.I. से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। [signature] ([illegible] [illegible] (राज०))	

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
65/2014	27.06.2014	20.03.2015

1. मन्नू पुत्र बदरी, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र बदरी, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी ——सायलान

बनाम

1. मूड़या पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. बाबू पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. श्रीफूल पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. रामसिंह पुत्र लल्लू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. राजा पुत्र मूड़या, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. भरतलाल पुत्र मूड़या, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. नाहरसिंह पुत्र मूड़या, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. लाला पुत्र मूड़या, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
9. बत्तीलाल पुत्र बाबू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. सन्तोष पुत्र बाबू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. दिलिप पुत्र बाबू, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी (नाम हजफ)
12. भंवरसिंह पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
13. मोहरसिंह पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
14. विजय पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
15. पिन्टू पुत्र श्रीफूल, माली निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, सायलान की ओर से
श्री भानुकुमार सिंघल, एडवोकेट, गैरसायल नं0 1 ता 8 की ओर से

निर्णय

सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 4088 रकबा 60 एयर, 4538 रकबा 13 एयर, 4540 रकबा 15 एयर, 4548 रकबा 15 एयर ग्राम उदेईकलां में स्थित है जिस पर सायलान सम्मलित रूप से काश्त करते आ रहे हैं। गैरसायलान झगडालू किस्म के व गुण्डा प्रवृति के व्यक्ति हैं। ये लोग ताकत के बल पर सायलान की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं । दि0 18.9.2013 को रात्रि करीब 10 बजे सभी गैरसायलान एक राय होकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर ट्रेक्टर लेकर सायलान की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की नियत से पहुंच गए। सायलान ने मना किया तो ये लोग सायलान को जान से मारने पर आमादा हो गए। रात्रि में मौके पर गांव के काफी लोग इकट्ठे

आ गए जिन्होंने बडी मुश्किल से गैरसायलान को समझा बुझाकर वापिस भिजवाया। दिनांक 19.9.2013 को सुबह गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी कि वे भूमि पर कब्जा करेंगे तथा सायलान को फसल से लाभान्वित नहीं होने देंगे। सायलान ने सदर थाना गंगापुर सिटी में प्रार्थना पत्र पेश किया । पुलिस मौके पर गई तो पुलिस ने गैरसायलान में से 4 को जो कि मौके पर हथियारों से सुसज्जित थे उन्हें धारा 151 सीआर0पी0सी0 के तहत मौके पर गिरफ्तार कर लिया। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वे सायलान की भूमि ख0नं0 4088 रकबा 60 एयर, 4538 रकबा 13 एयर, 4540 रकबा 15 एयर, 4548 रकबा 15 एयर ग्राम उदेईकलां में सायलान के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया।

गैरसायल संख्या 1 लगायत 10, 12, 13 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि ख0नं0 4088 रकबा 60 एयर, 4538 रकबा 13 एयर, 4540 रकबा 15 एयर, 4548 रकबा 15 एयर ग्राम उदेईकलां गलत प्रकार से सायलान के पिता बदरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई थी जबकि सायलान का व सायलान के पिता बदरी का उक्त वादग्रस्त आराजी पर आज तक कभी किसी तरह कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही कोई सरोकार रहा है। सायलान ने दिनांक 18.9.83 की जो घटना बताई है ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई । वादग्रस्त जायदाद पर गैरसायलान का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 19.9.13 को भी गैरसायलान ने सायलान को कोई धमकी नहीं दी ना ही कोई घटनाक्रम हुआ । सायलान ने गलत रिकार्ड तैयार करने की गरज से पुलिस में झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई और गलत तरीके से पुलिस कार्यवाही की । जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी बल्लू माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। लोहड़या के 3 पुत्र लल्लू, बदरी व रतन हुए । जिनमें से बदरी मंगल्या के गोद जा चुका है तथा रतन सोन्या के गोद जा चुका है। इस तरह लोहड्या की खातेदारी व कब्जे की उक्त आराजी का एकमात्र वारिस लल्लू ही है लेकिन सायलान के पिता बदरी ने उक्त वादग्रस्त आराजी का गलत प्रकार से अपने आपको लोहड़्या का पुत्र दर्शाते हुए अपने नाम रिकार्ड में लगवा लिया जबकि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 4048 रकबा 60 एयर साबिक ख0नं0 1505 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा से कायम हुआ है और साबिक ख0नं0 1505 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा एकीकरण से पूर्व ख0नं0 5599 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा व 5601 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा से कायम हुआ था जिसमें ख0नं0 5601 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में 1/2 हिस्सा लोहडच्या बल्द बल्लू माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी। इसी तरह हाल ख0नं0 4538 रकबा 13 एयर, 4540 रकबा 15 एयर, 4548 रकबा 5 एयर भी साबिक ख0नं0 1860 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा से कायम हुआ है ...

4343 रकबा 13 विस्वा, 4344 रकबा 10 विस्वा, 4346 रकबा 12 विस्वा, 4347 रकबा 12 विस्वा, 4348, 4368, 4350 तीनों नम्बरों का संयुक्त रकबा 1 बीघा 13 विस्वा व 4349 रकबा 4 विस्वा था। एकीकरण से पूर्व उक्त खसरा नम्बरो में से 4344 रकबा 10 विस्वा में लोहड्या बल्द बल्लू का 1/2 हिस्सा था तथा ख0नं0 4348, 4368, 4350 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा भी लोहडया बल्द बल्लू माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी । जिन खसरा नम्बरों के वर्तमान में ख0नं0 4538, 4540, 4548 कायम हुए हैं। इस तरह वादग्रस्त आराजी मूल रूप से लोहड्या पुत्र बल्लू माली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। इस आराजी पर शुरू से ही लोहड्या के साथ लोहड्या के बडे पुत्र लल्लू का ही कब्जा रहा है। बदरी व रतन का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। लोहड्या व लल्लू की मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु के बाद इस आराजी पर मूड्या, बाबू, श्रीफूल व रामसिंह का ही अपने परिजनों के साथ लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर सायलान गैरसायलान को भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। गैरसायलान को रिकार्ड में हुई इस गलती का माह अक्टूबर 2013 के प्रथम सप्ताह में हुआ जब सायलान ने गैरसायल सं0 1 लगायत 4 से भूमि काश्त नहीं करने को कहा। गैरसायलान ने जब तहसील से नकलें ली तो पता चला कि सायलान ने वादग्रस्त आराजी में से ख0नं0 4088 रकबा 60 एयर का गलत प्रकार से विक्रय पत्र उमेश कुमार शर्मा के हक में निष्पादित करा दिया है जो विरूद्ध गैरसायलान कलहमद व बेअसर होने से नल एण्ड बोइड घोषित किए जाने योग्य है। इस तरह सायलान उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में सायलान का नाम गलत प्रकार से दर्ज होने के आधार पर गैरसायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत कर रहे हैं। दीगर व्यक्तियों को मुन्तकिल कर रहे हैं जबकि सायलान को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र टी0आई0 गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज फरमाया जावे तथा गैरसायलान की काउन्टर टी0आई0 विरूद्ध सायलान स्वीकार फरमाई जाकर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 4088 रकबा 60 एयर, 4538 रकबा 13 एयर, 4540 रकबा 15 एयर, 4548 रकबा 15 एयर ग्राम उदेईकलां के कब्जे काश्त में गैरसायलान को किसी प्रकार की कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी अन्य से करावें तथा उक्त आराजी को रिकार्ड में सायलान के नाम दर्ज होने के आधार पर किसी अन्य के हक में किसी तरह रहन बय या मुन्तकिल नहीं करें।

गैरसायलान की काउन्टर टी0आई0 का जबाब देते हुए सायलान ने अंकित किया है कि गैरसायलान का यह कहना बिल्कुल गलत है कि बदरी मंगल्या के गोद चला गया । बदरी मंगल्या के कभी गोद नहीं गया ना ही मंगल्या की कोई भूमि बदरी के नाम गोदपुत्र की हैसियत से दर्ज हुई है बल्कि लोहड्या के मरने के बाद जरिए खसरा परिशोधन दौराने सेटलमेंट लोहडया की खातेदारी भूमि दोनों भाईयों के नाम हिस्सा बराबर 1/3, 1/3 दर्ज हुई है एवं इसी अनुसार

भाईयों में विभाजन हुआ है। विवादित भूमि पर सायलान का ही तन्हा रूप से कब्जा चला आ रहा है। गैरसायलान ताकत के बल पर सायलान को उनकी भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अतः गैरसायलान की काउन्टर टी0आई खारिज कराई जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायलान ने नकल जमाबंदी सन् 2009 से 2012 पेश की है।

गैरसायलान की ओर से जबाब व काउन्टर टी0आई0 के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई ।

सायलान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिसे गैरसायलान जबरन छीनना चाहते हैं एवं वे सायलान के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे।

गैरसायलान के विद्वान वकील ने अपने जबाब व काउन्टर टी0आई0 के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पर गैरसायलान का कब्जा काश्त है सायलान के नाम यह भूमि गलत रूप से लग गई है जिसके आधार पर वे भूमि का विक्रय कर रहे हैं एवं गैरसायलान को भूमि से बेदखल करने पर उतारू हैं। इसलिए सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । सायलान द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार भूमि पर खातेदारी सायलान की दर्ज है। गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत जबाब, काउन्टर टी0आई0 से यह विदित होता है कि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद है एवं प्रथम दृष्टया यह देखा जाना आवश्यक है कि दोनों पक्षों के मध्य विवादों की बहुलता नहीं बढे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम वादग्रस्त भूमि की ताफैसला दावा मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु दोनों ही पक्षों को पाबंद करना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख0नं0 4088 रकबा 60 एयर, 4538 रकबा 13 एयर, 4540 रकबा 15 एयर, 4548 रकबा 15 एयर ग्राम डंडेईकलां की ताफैसला दावा मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनांक 20.3.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी